“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2018 — ज्येष्ठ 4, शक 1940

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक 1163/आर/104/2017/14-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ कृषि तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

अनुसूची-तीन में, शीर्षक “कृषि सांख्यिकीय सेवा” के नीचे, प्रविष्टि “ 1. सहायक सांख्यिकीय अधिकारी” तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	“1. सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित विषय सहित द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिये या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर या मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर होना चाहिये.”	

No. 1163/R/104/2017/14-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Sub-ordinate Agriculture class-III (Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In Schedule-III, below the Heading " Agriculture Statistics Services", for the entry "1. Assistant Statistical Officer" and entries relating thereto, the following shall be substituted namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"1. Assistant Statistical Officer	21 Years	30 Years (35 years for bonafide resident of C. G.)	Should have passed Bachelor Degree with Mathematics in 2nd Division from recognized University or Should have Post Graduation in Statistic Or Post Graduation in Agriculture Statistics from recognized Agriculture University."	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.